

## उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

अधिसूचना संख्या 1337/XXXI (13) 9/2011 दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 धारा-3 के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् है-

### प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 01 से कक्षा 08 तक

| क्र.सं. | सेवार्ये  | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा                | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|---------|---|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (अनु0जाति/अनु0जन जाति /अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्या) के आवेदन पत्रों का समाज कल्याण विभाग को अग्रसारण | प्रधानाध्यापक             | छात्र से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर | उप शिक्षा अधिकारी                | जिलाधिकारी                         |
|         | समाज कल्याण विभाग से प्राप्त होने पर (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अ0पि. वर्ग /अल्पसंख्या) छात्रवृत्ति का वितरण   | समाज कल्याण विभाग         | -   | -                                | -                                  |
| 2.      | स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)  | प्रधानाध्यापक             | 07 दिन  | उप शिक्षा अधिकारी                | जिलाधिकारी                         |

संयुक्त निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।